न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 67 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सजनाराम पुत्र जगमालराम जाति भील निवासी खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	**बनाम** 1.पेम्पाराम पुत्र धीराराम 2.मोरूदेवी पत्नी बुधाराम जाति भील निवासी खारड़ा चारणान पटवार हल्का खारड़ा चारणान पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। 3.भंवरदान पुत्र राणीदान 4.जवानदान पुत्र राणीदान 5.खमादेवी पत्नी गणेशराम जाति भील निवासी खारड़ा चारणान पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। 6.शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी परेऊ

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 227 / 2016 बअनवान पेम्पाराम वगैरा बनाम भंवरदान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अनिलकुमार सोनी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 238 / 95 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 236 / 95 रकबा 14.14 बीघा ग्राम खारड़ा चारणान तहसील गिड़ा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 94 रकबा 24.06 बीघा मौजा ग्राम खारड़ा चारणान तहसील गिड़ा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्क पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। मौका रिपोर्ट में उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तावित स्थान पर पहले से कोई रास्ता विध्यमान नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट की रहवासी ढाणी होना बताया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही आनन फानन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेसपोडेंट/प्रार्थी द्वारा जानबूझकर पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी के दोनो खसरे अलग–अलग राजस्व गांवों की सरहद पर है तथा मामला Overlaping का है। यह तय नहीं है कि अपीलांट अतिक्रमी है या आबादी में बसा हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है तथा उनके अधीन आर आई एवं पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश जिस मौका रिपोर्ट की पालना में पारित किया गया वह एकपक्षीय बनाई गई है। मौका रिपोर्ट में जो भूमि पर जो रास्ता की दिखाई है उस भूमि पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है एवं यह बात मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 238/95 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 236/95 रकबा 14.14

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा ग्राम खारड़ा चारणान तहसील गिड़ा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा न ही मौका रिपोर्ट के समय कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट की वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणी को धारा 91 के तहत अतिक्रमण मानते हुऐ धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का आवेदन तहसीलदार गिड़ा के समक्ष पेश किया गया तथा तहसीलदार ने अपीलांट को सम्यक रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसे अतिक्रमण घोषित कर बेदंखली का आदेश पारित किया गया, हल्का पटवारी ने अरसा 15 दिन पूर्व मौके पर आकर अपीलांट को बेंदखल करने की धमकिया दी जिस पर अपीलांट द्वारा पूछताछ करने पर हल्का पटवारी ने उक्त आदेश की जानकारी दी जिस पर अपीलकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नकलें दिनांक 15.11.2018 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया परन्तु अपीलाधीन आदेश से अपीलांट पूर्णतया प्रभावित हो रहा है तथा अपीलांट को उनकी वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणी से जबरन बलपूर्वक बेंदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट/प्रार्थी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अंतर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिससे अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है तथा न ही अपीलाधीन आदेश से प्रभावित हो रहा है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांट का आवेदन खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की 96 सी पी सी प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसमें अपीलांट की रहवासी ढाणी आ रहीं है ऐसा मौका रिपोर्ट में प्रतिवेदित हुआ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित हो रहा है तथा अपीलांट हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार है। अतः अपीलांट का आदेवन अंतर्गत 96 सी पी सी स्वीकार कर अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। मौका फर्द दिनांक 07.12.2017 में स्पष्ट किया गया है कि चाहे गये रास्ते पर वर्तमान में मार्ग नहीं चल रहा है। सड़क के पास चाहे गये रास्ते में सजनाराम पुत्र जगमालराम कौम भी सा. खारड़ा चारणान की ढाणी की बाड़, छप्पर व आंगन इसके अन्तर्गत आने से वादीगण द्वारा चाहे रास्ते में रूकावट होती है। मौका फर्द दिनांक 07.12.2017 में वैकल्पिक रास्ते का नजरी नक्शा संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना हीं अपीलाधीन आलोच्य एकपक्षीय आदेश

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित किया गया जो विधि की मंशा के खिलाफ है। अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 269 मौजा खारड़ा भारतसिंह व रेस्पोडेंट की भूमि खारड़ा चारणान में खसरा संख्या 94 में है उक्त दोनों खसरे अलग–अलग राजस्व गांव में है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। वादग्रस्त आराजी दोनों गांवों की सरहद पर होने से मामला Overlaping का है। यह तय नहीं है कि अपीलांट अतिक्रमी है या आबादी में बसा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन नहीं दिया है। अपीलांट की मंशा रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित करना नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशित स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 227/2016 बअनवान पेम्पाराम वगैरा बनाम भंवरदान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलांट की पुरानी रहवासी ढाणी को छोड़कर अन्य वैकल्पिक रास्ता दिया जाने हेतु तहसीलदार गिड़ा स्वयं से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु के समक्ष दिनांक 26.12.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

26/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner